कार्यालय जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)

आदेश

कमांक 703 /PMAY-G/स्था./जिपं/2016–17 राजनांदगांव दिनांक 21/04/2017

छत्तीसगढ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश कमांक/पंग्राविवि/22/492ए/2016/2327 नया रायपुर दिनांक 04.07.2016 अनुसार पंचायत संचालनालय छत्तीसगढ के अधीन मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना (CMPSY) अंतर्गत चयनित मेरिट सूची से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत रिक्त डाटा एन्ट्री आपरेटर के पद हेतु निम्नलिखित अभ्यर्थी को दिनांक 31/03/2018 तक के लिए उनके नाम के सम्मुख लिखे पदस्थापना स्थल पर संविदा नियुक्ति की जाती है:–

कमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पत्र व्यवहार का पता	वर्ग	पदस्थापना स्थान
1	2	3	4	5	6
1	कु.अराधना देवांगन	श्री गोवर्धन देवांगन	आरती टेलर्स, न्यू कॉलोनी, गया नगर दुर्ग, (छ.ग.)	obc	जनपद पंचायत डोंगरगांव

प्रमाणित किया जाता हैं कि नियुक्ति हेतु आरक्षण नियम का पालन किया गया हैं।

नियम एवं शर्तें :–

1. संविदा पर 13776.00 रूपये एकजाई पारिश्रमिक की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, गृहभाडा भत्ता इत्यादि नही दिया जायेगा और ना ही संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतनवृद्धि की पात्रता नही होगी।
2. यह संविदा नियुक्ति दिनांक 31/03/2018 तक होगी।
3. यह नियुक्ति पूर्ण रूप से अस्थाई है।
4. संविदा अवधि के कैलेण्डर वर्ष में कुल 18 दिनो का अनुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनो के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। अन्य कोई अवकाश देय नही होगा।
5. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
6. संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जायेगी तथा सेवा समाप्त करने के लिए पृथक आदेश जारी करना आवश्यक नही होगा।
7. संविदा अवधि के दौरान दोनो पक्षों मे से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज मे एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
8. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा शासकीय सेवक के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन उपादान या मृत्यु–लाभ की पात्रता नही होगी।
9. संविदा नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जायेगा, ताकि यदि आगामी वर्ष हेतु उसे पुनः संविदा नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर उसके कार्य का मूल्यांकन हो सकें।
10. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र./एफ–9–1/2012/1–3, रायपुर, दिनांक 17.01.2013 द्वारा जारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के अधीन होगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत राजनांदगांव(छ.ग.)

Website :- www.zprajnandgaon.gov.in, Email :- zp-rjn.cg@nic.in
Phone No. (07744) 224060, 226495 Fax :- (07744) 220140

कार्यालय जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)

पृ. कमांक 704 /PMAY-G/स्था./जिपं/2016–17 राजनांदगांव दिनांक 21/04/2017

प्रतिलिपि :–

1 अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।

2 संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), विकास आयुक्त कार्यालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।

3 कलेक्टर, जिला राजनांदगांव को सूचनार्थ।

4 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत ....को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

5 उप संचालक, (पंचायत), राजनांदगांव को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

6 सर्व संबंधित श्री कु० [illegible] की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ। दिनांक 25.03.2017 तक आवश्यक प्रमाण पत्रो सहित कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)

Website :- www.zprajnandgaon.gov.in, Email :- zp-rjn.cg@nic.in
Phone No. (07744) 224060, 226495 Fax :- (07744) 220140